45/HP/2014/ARO
5/4/14
2.49 PM

1[प्ररूप 2क

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन–पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग 1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा निर्वाचन के लिए .... बाँका (27) .... संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम .... अखिल भारतीय शर्मा .... पिता/माता/पति का नाम .... गिरधारी शर्मा .... उसका डाक पता ग्राम- दिवाकर किता, पो॰ पचरुखी, थाना- शाहकुंड, जि॰ भागलपुर .... उसका नाम .... बाँका (27) .... संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र [में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं0 .... 187 .... में क्रम सं0 347 .... पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम .... है जो .... संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र [में समाविष्ट .... विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं0 .... में क्रम सं0 .... पर प्रविष्ट है।

(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

तारीख ....

भाग 2

(मान्यताप्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए .... बाँका (27) लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम .... अखिल भारतीय शर्मा

पिता/माता/पति का नाम .... गिरधारी शर्मा

उसका डाक पता .... ग्राम- दिवाकर किता, पो॰- पचरुखी, थाना- शाहकुंड, जि॰- भागलपुर .... संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र उसका नाम .... बाँका (27) लोक सभा .... 157 [illegible] *(में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक 187 .... में क्रम संख्यांक 347 .... पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज है और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

	प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक					
क्रम सं0	विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम सं0	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	सुल्तानगंज 157	187	653	जनार्दन शर्मा	जनार्दन शर्मा	5-4-14
2.	सुल्तानगंज 157	187	608	सुरेन्द्र शर्मा	सुरेन्द्र शर्मा	
3.	सुल्तानगंज 157	187	240	उमेश शर्मा	उमेश शर्मा	
4.	सुल्तानगंज 157	187	241	पूनम देवी	पूनम देवी का निशान	
5.	सुल्तानगंज 157	187	475	बनारसी शर्मा	बनारसी शर्मा	RTI Poonam Devi attested 5-4-14
6.	सुल्तानगंज 157	187	416	बिन्दु देवी	बिन्दु देवी	
7.	सुल्तानगंज 157	187	350	वीणा देवी	वीणा देवी	
8.	सुल्तानगंज 157	187	346	उर्मिला देवी	उर्मिला देवी	
9.	सुल्तानगंज 157	187	366	बुधनी देवी	बुधनी देवी का निशान	
10.	सुल्तानगंज 157	187	363	रेणु देवी	रेणु देवी	RTI Budhani Devi attested 5-4-14

कृपया ध्यान दें – प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 558(अ), तारीख 9 अगस्त, 1996 द्वारा प्ररूप 2क से 2ग के स्थान पर प्रतिस्थापित।

भाग 3

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि–

(क) मैंने ....48............ वर्ष की आयु पूरी कर ली है

[नीचे ख (i) या ख (ii) जो लागू न हो उसे काट दें]

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में ....X............ दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आबंटित किया जाए।

या

(ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में ....निर्दलीय............ दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो ~~रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल~~ है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (i) ....X............ (ii) ....X............ (iii) .... है।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर ....हिन्दी............(भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

*मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं ** जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो ....X............ राज्य के उस राज्य में के ....X............ (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित ***जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप–निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन–क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में **** नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

अखिलेश भारतीय शर्मा

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

तारीख ....5-04-2014............

---

* जम्मू–कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और द्वीप तथा लक्षद्वीप की दशा में "में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र" शब्द काट दीजिए।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

*** लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

****जम्मू कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में लागू नहीं होगा।

कृपया ध्यान दें – "मान्यताप्राप्त राजनैतिक" दल से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

[1][भाग 3क

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को–

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की– | हाँ/नहीं

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए ; या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,

सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

---

[1] अधिसूचना सं० का०आ० 935(अ), तारीख 3 सितम्बर, 2002 द्वारा अंतः स्थापित।

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है

यदि उत्तर "हाँ" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट

संख्यांक .... नहीं

(ii) पुलिस थाना

(थाने) .... नहीं .... जिला (जिले) .... नहीं .... राज्य .... नहीं ....

(iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था

.... नहीं

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख/ (तारीखें)

.... नहीं

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था

....

(vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें

.... नहीं ....

(vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) .... नहीं ....

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरूद्ध कोई अपील(अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हाँ/नहीं

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियाँ .... नहीं ....

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइ

किए गए थे .... नहीं ....

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित हैं ......नहीं

......................नहीं

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो–

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) ....नहीं

(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) ....

आलोक कुमार रतीश शर्मा

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)]

स्थान : बाँका

तारीख : 5-4-2014

भाग 4

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन–पत्र की क्रम सं0 ......45......

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में ......5.4.14...... (तारीख) को ......2.49 PM...... (बजे)

*अभ्यर्थी/~~प्रस्थापक~~ द्वारा परिदत्त किया गया।

5/4/14

सहायक निर्वाची पदाधिकारी

27-बाँका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

तारीख ......5.4.14......

रिटर्निंग आफिसर,

भाग 5

नामनिर्देशन पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नाम निर्देशन पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :–

तारीख ....

रिटर्निंग आफिसर,

(छिद्रण) ....

---

*लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

भाग 6

नामनिर्देशन पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन–पत्र उपस्थित करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

नामनिर्देशन–पत्र की क्रम सं० ......45...... का, जो ......27 – बांका...... संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र से निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी है, नामनिर्देशन–पत्र मुझे/मेरे कार्यालय में ......5·4·14......(तारीख) को ......2·49 P.M.......(बजे) * अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया। सब नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा ......7·4·14...... (तारीख) को ......11·00 A.M.......(बजे) ......निर्वाची पदा० के कार्यालय कक्ष...... (स्थान) में की जाएगी।

तारीख ......5/4/14......

5/4/14

सहायक निर्वाची पदाधिकारी
27-बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
रिटर्निंग आफिसर

शब्द लागू न हो उसे काट दीजिए।

45 प्रतिप्राप्त
अखिल कुमार शर्मा
5-04-2014

शपथ अथवा प्रतिज्ञान का फार्म

[भारत के संविधान के अनुच्छेद 84 (क)]

[संसद के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा भरा जाने वाला]

मैं ....बाँका(27)....... जो लोक सभा / राज्य सभा में एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूँ, *ईश्वर की शपथ लेता हूँ / सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं भारत की सम्प्रभुता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखूँगा।

अखिलेश्वर शर्मा

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और स्पष्ट अक्षरों में नाम)

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

श्री / श्रीमती ....अखिलेश्वर शर्मा....... ने आज दिनांक ....5....... (माह) ....अप्रैल....... 2014 को ....समाहरणालय परिसर बाँका....... (स्थान) पर ....11:30....... (बजे) मेरे समक्ष ईश्वर की शपथ ली / सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किया।

Sanjay pd singh Notary public Banka 5-4-14

Sanjay Prasad Singh NOTARY PUBLIC Banka, Bihar

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम और मुहर)

शपथ पत्र की प्राप्ति के लिए प्रमाण–पत्र

[प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी को दिया जायेगा]

प्रमाणित किया जाता है कि लोक सभा अथवा राज्य सभा के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, ...अखिलेश्वर शर्मा....... (नाम) ने ....5-4-14....... (दिनांक) को ....11:30....... बजे मेरे कार्यालय में मेरे समक्ष भारत के संविधान द्वारा यथा अपेक्षित शपथ ली / प्रतिज्ञान किया और उस पर हस्ताक्षर किए।

Sanjay pd singh Notary public Banka 5-4-14

Sanjay Prasad Singh NOTARY PUBLIC Banka, Bihar

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम और मुहर)

जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

टिप्पणी : यह फार्म अंग्रेजी तथा राज्य की राजभाषा दोनों में अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

D:\Nomination Form-2014\Format- OATH (84K) 25.03.14.doc

GOVT. OF BIHAR
BANKA
COURT FEE
Authorization No. 38

भारत INDIA — बिहार JUDICIAL — Rs 0000020 — 4.4.2014 — BIHAR

"प्ररुप 26"

(नियम 4 क देखिए)

बाँका (27) निर्वाचन क्षेत्र

से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) बाँका(27) बिहार (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग–क

597
5-4-14

मैं अशोक कुमार शर्मा पुत्र/पुत्री/पत्नी गिरधारी शर्मा आयु 48 वर्ष, जो ग्राम- [illegible] (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं :–

(1) मैं निर्दलीय (** राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी /**एक स्वतंत्र अभ्यार्थी के रुप में लड़ रहा है।

(** जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम बाँका(27) बिहार (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग संख्या 187 के क्रम सं. 347 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा सम्पर्क टेलीफोन नं0 8969385193 है/हैं और मेरा ई–मेल आईडी (यदि कोई हो तो) × है।

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय–कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1	स्वयं	शून्य	शून्य	शून्य
2	पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
3	आश्रित–1	शून्य	शून्य	शून्य
4	आश्रित–2	शून्य	शून्य	शून्य
5	आश्रित–3	शून्य	शून्य	शून्य

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। होयू नहीं

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/ जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	नहीं
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	नहीं
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	नहीं
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	नहीं

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है {पूर्ववर्ती मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न} :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	नहीं
(ख)	उन मामलों के ब्योरे जहां न्यायालय में संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाईल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	नहीं

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रुप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि है, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	नहीं

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूं।

अ. जंगम अस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरणी दिया जाना है।

टिप्पण 2 – जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने है।

टिप्पण 3 – सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 – यहां आश्रितों का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 75 क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 – रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	हाथ में नगदी	50000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी है), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गये वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारुप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रसं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थित (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वाणिज्य भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिमार्ण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	पूर्वोत्तर (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों / को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :–

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय-कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रयकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(9) वृति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं .... वकालत

(ख) पति या पत्नी X

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

.... एल.एल.बी. डी.ए.वी. कॉलेज, 2002 ....

.... कानपुर ....

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रय के पूर्ण प्ररुप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग–ख

(11) भाग क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु0 अरविन्द भारतीय शर्मा
2	डाक का पता	दिवानटोला, पो०-पचरूखी, थाना-शाहकुण्ड भागलपुर
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	बाँका (27) बिहार
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखे)	स्वतंत्र
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	शून्य
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया हैं (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	शून्य
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमत्र 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	शून्य

		.... का स्थायी लेखा सं0	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गई है	कुल दर्शित आय
7				
	(क) अभ्यर्थी	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
	(ग) आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य

8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख	स्थावर आस्तियां					
	I. स्वअर्जित स्थावर संपति की क्रय कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	II. क्रय के पश्चात् स्थावर संपति की विकास/संनिर्माण (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	III. निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(क) स्वअर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) विरासत आस्तियां (कुल मूल्य)					
9	दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

11		उच्चतम शैक्षिक अर्हता : एल.एल.बी. ग्रेजुएट 2003 टी.एन.बी. लॉ कॉलेज भागलपुर
		(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररुप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय–वस्तु मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :–

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषीसिद्धि का मामला या लंबित मामलें से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है ;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 5-4-2014 को सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य या लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरुप से साफ–साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(c) संख्या 121–2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ–पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिये गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो "शून्य या लागू नहीं" या "ज्ञात नहीं" जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण–6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रुप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/ हैं........8969385193

मेरा ई–मेल आई0डी0 (अगर कोई हो) है..........शून्य

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है..........शून्य

Sanjay Prasad Singh
BANKA
BIHAR

Shri / Smt. ...... who is / are Identified by
...... / Smt. ......
...ate Banka Solemnly ......
...... before me.
5.4.14

Sanjay Prasad Singh
NOTARY PUBLIC
Banka, Bihar

E:\Kamdeo\March 2014\Sanjay ji\Praptra 26.doc